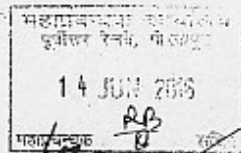


07/11/16



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

CPO, CMD, F&C&D

2
03/2016

आरबीई सं. 58/2016

नई दिल्ली, दिनांक: 02.06.2016

स. ई. (पीएण्डए) II-98/एचडब्ल्यू-6 वॉल. III

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय: रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों/क्लिनिकों में कार्यरत गुप-सी और डी (गैर लिपिक वर्गीय) रेल कर्मचारियों को अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता (एनपीसीए) और मरीज देखभाल भत्ता प्रदान करना।

संदर्भ: पीएनएम/एआईआरएम मद सं. 7/2010, पीएनएम/एनएमआईआर मद सं. 12/2015.

बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई (पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 के अनुसार रेलों पर अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता/मरीज देखभाल भत्ता लागू किया गया था। पुनः, बोर्ड के दिनांक 20.02.2013 के पत्र सं. ई (पी एण्ड ए) I-2013/एएल-3 के अनुसार अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता/मरीज देखभाल भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था। डेंटल हाइजिनिस्टों और फिजियोथेरेपिस्टों/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्टों को भी बोर्ड के दिनांक 31.07.2015 के पत्र में सं. ई (पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 वॉल III में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता/मरीज देखभाल भत्ता के लिए पात्र बनाया गया था।

2. माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/ दिल्ली द्वारा ओए. सं. 974/2013 में दिनांक 16.07.2015 को दिए गए आदेश में दिए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप यह पता लगाने के लिए कि क्या आवेदकों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों में निरन्तर और नियमित तौर पर संक्रामक बीमारियों के संपर्क में रहना और ऐसे संक्रमित सामग्रियों, उपकरणों को संभालना शामिल हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है; और तत्पश्चात् अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता तथा मरीज देखभाल भत्ता के संबंध में उनकी पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस मामले में आवेदक, उत्तर रेलवे सेन्ट्रल अस्पताल, नई दिल्ली के रसोई कर्मचारी थे। मान्यताप्राप्त फेडरेशनों ने भी रसोई कर्मचारियों को भी अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता तथा मरीज देखभाल भत्ता प्रदान किए जाने की मांग की है।

3. इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और बोर्ड ने उस पर विचार किया है और तदनुसार रसोई कर्मचारियों की निम्नलिखित कोटियों को इस पत्र के जारी करने की तारीख से अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता/मरीज देखभाल भत्ता प्रदान करने के लिए गुप 'सी' और गुप 'डी' (गैर लिपिकीय) के पात्र कोटियों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है:

- मसालची और कुकमेट,
- जहां मसालची/कुकमेट अलग से नहीं हैं और कुकों को बर्तन धोने और बैरों की व्यवस्था न होने पर भोजन परोसने का कार्य करना अपेक्षित हो।

4. बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-98/एचडब्ल्यू-6 और दिनांक 20.02.2013 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-2013/एएल-3 में अन्तर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

6. कृपया पावती दें।

प्रो. स्तुति अहमद

(सलीम. मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए)II,

रेलवे बोर्ड

146

3
03/2016

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 68/2016.

No. E(P&A)II-98/HW-6 Vol.III

New Delhi, dated : 02.06.2016.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways &
Production Units etc.

Sub: Grant of Hospital Patient Care Allowance (HPCA) & Patient Care Allowance (PCA) to Group 'C' & 'D' (non-ministerial) Railway employees working in Railway Hospitals & Health Units/Clinics.

Ref: PNM/AIRF Item No. 7/2010, PNM/NFIR Item No.12/2015.

Hospital Patient Care Allowance /Patient Care Allowance was introduced on the Railways in terms Board's letter No. E(P&A)II-98/HW-6 dated 09.01.2008. Further, the rates of HPCA/PCA were revised as per Board's letter No. E(P&A)I-2013/AL-3 dated 20.02.2013. Dental Hygienists and Physiotherapists/Occupational Therapists were also made eligible for HPCA/PCA vide Board's letters E(P&A)II-98/HW-6 Vol. III dated 31.07.2015 on the terms and conditions mentioned therein.

2. Consequent to the directions made by the Hon'ble CAT/Delhi in its order dt. 16.7.2015 in OA No. 974/2013, an expert committee was constituted to find out whether the duties & responsibilities of the applicants involve continuous & routine contacts with communicable diseases & handling infected materials, instruments, which can spread infection & thereafter would take final decision regarding their entitlement to HPCA/PCA/Risk Allowance. The applicants in this case were kitchen staff working in the Northern Railway Central Hospital, New Delhi. The recognized Federations have also been demanding for the admissibility of HPCA/PCA to the Kitchen Staff.

3. The expert committee has submitted its recommendations and it has been considered by the Board and accordingly it has been decided to include the following category of Kitchen Staff in the list of eligible categories of Group 'C' and 'D' (non-ministerial) for the grant of HPCA/PCA w.e.f. the date of issue of this letter :

- (i) Masalchis & Cookmates ;
- (ii) Cooks where no separate Masalchi/Cookmates is provided and the cooks are required to clean the utensils or serve food where bearers are not provided.

4. Other terms and conditions would remain the same as per Board's letter no. E(P&A)II-98/HW-6 dated 09.01.2008 and Board's letter No. E(P&A)II-2013/AL-3 dated 20.02.2013.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Please acknowledge receipts.

md. Salim Ahmed

(Salim Md. Ahmed)
Dy. Director/E(P&A)II,
Railway Board.

Contd.....2/-